

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश, ग्वालियर

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I), M.P., GWALIOR

दिनांक - 30-03-2023

कार्यालय आदेश क्रमांक- 177/OFFICE ORDER-177

इस कार्यालय के संवर्ग नियंत्रणाधीन कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा- ग्वालियर में कार्यरत श्री विनोद कुमार पिल्लई, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (02/6517) MPGWW3111512 को कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पश्चिम मध्य रेलवे), जबलपुर, मध्य प्रदेश में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर उनके द्वारा स्वीकार की गयी शर्तों तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन प्रतिनियुक्ति पर चयन होने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2023 (अप.) को कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पश्चिम मध्य रेलवे), जबलपुर, मध्य प्रदेश में कार्यग्रहण करें।

Consequent upon selection of Shri Vinod Kumar Pillai, Assistant Audit Officer (02/6517) MPGWW3111512, posted in O/o Director General Audit (Central Receipt) New Delhi, Branch- Gwalior under cadre control of this office, for the post of Assistant Audit Officer in the O/o Director General of Audit (West Central Railway), Jabalpur, Madhya Pradesh on deputation basis under general terms and conditions of deputation as well as the terms and conditions issued by Government of India from time to time and accepted by him, he is relieved on 31.03.2023 (AN) and is directed to join O/o Director General Audit (West Central Railway), Jabalpur, Madhya Pradesh.

उक्त स्थानांतरण लोकहित में है।

Aforesaid transfer is in public interest.

वे उपरोक्त कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उधारग्रहीता विभाग के माध्यम से इस कार्यालय को तुरन्त देंगे।

He shall immediately intimate his joining in the aforesaid office to this office through the borrowing office.

भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय जापन सं.ए.वी.14017/30/2006 स्था.(आर.आर.) दिनांक 29.11.2006, जिसे मुख्यालय के पत्र क्रमांक-19 लेखापरीक्षा (नियम)66-2002(KW)/IX -2007(10) दिनांक 06.03.2007 द्वारा अग्रेषित किया गया है, में उल्लेखित निम्न अन्य शर्तों द्वारा प्रतिनियुक्ति नियमित की जाती है-

The deputation is regularized in terms of the following other conditions contained in Do.P.T.O.M.No.A.V.14017/30/2006 Estt.(R.R.) dated 29.11.2006 received with

Headquarters' letter no.19 Audit(Rules)66-2002(KW)/IX-2007(10)dated 06.03.2007:-

1. प्रारम्भ में प्रतिनियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी तथा प्रतिनियुक्ति पर गये अधिकारी को दिनांक 31.03.2024 को अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त करना होगा। कार्यमुक्त करने के लिए अलग से कोई आदेश नहीं दिये जायेंगे।

Initially the deputation will be for one year and the officer on deputation will have to be compulsorily relieved on 31-03-2024. No separate order will be issued for his relieving.

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति पर कार्यभार से मुक्त माना जायेगा, सिवाय उस स्थिति में जब सक्षम अधिकारी ने उसकी प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने से पूर्व लिखित में उसकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाये जाने के लिये अपेक्षित अनुमोदन दे दिया है। प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारी का ओवरस्टे न हो यह सुनिश्चित करना उसके अगले उच्च अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय जापन सं- DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010 के यदि उधारग्रहीता कार्यालय अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति निर्धारित अवधि से आगे बनाये रखना चाहते हैं तो उन्हें उधारदाता कार्यालय एवं संबंधित अधिकारी से सहमति हेतु छह माह पूर्व कार्यवाही प्रारंभ करना चाहिए।

Deputation period will not be extended and he will be treated as relieved unless the Competent Authority approves in writing to extend the deputation period before its completion. It will be the responsibility of next higher authority to avoid overstay of staff on deputation. As per para 8.3.1 (ii) of DoPT OM No. 6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17.06.2010, If the borrowing organisation wishes to retain an officer beyond the prescribed tenure, it shall initiate action for seeking concurrence of lending organisation, individual concerned etc. six months before the date of expiry of tenure.

3 यदि किसी भी कारण से अधिकारी अधिक दिनों, तक बना रहता है, तो वह अनुशासनिक कार्यवाही तथा प्रतिकूल सिविल सेवा परिणाम के लिये जिम्मेदार होगा जिसमें यह शामिल होगा कि अनाधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि की पेंशन के प्रयोजन के लिये सेवा नहीं गिनी जायेगी तथा अनधिकृत रूप से अधिक दिनों तक बने रहने की अवधि के दौरान देय वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से तब तक आस्थगित रहेगी जब तक कि सम्बन्धित अधिकारी अपने मूल संवर्ग में पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

In the event the officer overstaying for any reason whatsoever, he will be liable to disciplinary action and other adverse Civil/Service consequences which would include that period of unauthorized overstay shall not count against service for the purpose of pension and that any increment due during the period of unauthorized overstay shall be deferred, with cumulative effect, till the date on which the officer rejoins his parent

cadre.

4 एच.आर.ए., परिवहन भत्ता, कार्यग्रहण अवधि एवं कार्यग्रहण अवधि वेतन, यात्रा भत्ता एवं स्थानांतरण टी.ए.,एल.टी.सी., संतान शिक्षा भत्ता तथा चिकित्सा सुविधाएँ उधारग्रहीता कार्यालय द्वारा Appendix 5, FRSR Part-I के पैरा 7.6 में सन्निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किये जायेंगे।

HRA, Transport Allowance, Joining Time and Joining Time Pay, Travelling Allowance and Transfer TA, LTC, Children Education Allowance and Medical facilities will be regulated by borrowing office in accordance with provisions contained in Para 7.6 of Appendix 5, FRSR Part-I".

(प्रधान महालेखाकार के अनुमोदन से जारी)

हस्ता/-

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 11

दिनांक - 30-03-2023

1. सचिव, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
2. वरि. उप महालेखाकार/(प्रशा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश, ऑडिट भवन, ग्वालियर।
3. वरि. उप महालेखाकार/प्रशासन, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र., ग्वालियर को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत।
4. निदेशक (केंद्रीय प्राप्ति) कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा- ग्वालियर।
5. उप निदेशक (लेखापरीक्षा) डाक एवं दूरसंचार, एनेक्सी संचार भवन, BSNL कम्पाउन्ड, होशंगाबाद रोड,भोपाल।
6. निदेशक /प्रशासन, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (पश्चिम मध्य रेलवे), जबलपुर, मध्य प्रदेश।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य स्थापना, कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा- ग्वालियर को इस आशय के साथ कि श्री विनोद कुमार पिल्लई, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को दिनांक- 31.03.2023 (अप.) को सीधे प्रतिनियुक्ति कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करने का कष्ट करें।
- 8.वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन - 12,13,14, गोपनीय कक्ष, सामान्य अनुभाग, Training/Exam, ITA
9. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ आई. एस. एण्ड डी.ए.सी, को इन्ट्रानेट पर "Administration-

I/256098/2023

Personnel” लिंक एवं कार्यालय की वेबसाइट पर अन्तर्गत अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

10. श्री नरेश आहूजा / स.ले.प.अ. को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

11. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन, ग्वालियर ।

12. श्री विनोद कुमार पिल्लई, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी को कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली, शाखा- ग्वालियर के द्वारा प्रेषित ।

13. गार्ड फाइल हेतु (03 प्रतियां)।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11